भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 896

बुधवार, 23 नवम्बर, 2016/2 अग्रहायण, 1938 (शक)

ई.एस.आई.सी. तथा ई.पी.एफ. के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों में कामगारों को लाभ प्रदान करना

896. श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ई.एस.आई.सी. तथा ई.पी.एफ. के अन्तर्गत निर्माण कामगारों, ऑटो तथा रिक्शा चलाने वालों, आंगनवाड़ी तथा आशा कामगारों को चरणबद्ध रूप से लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा(कराबी) योजना के अंतर्गत लाभों का प्रश्न है, दिल्ली/हैदराबाद में स्व-नियोजित कामगारों की चयनित श्रेणी यथा ऑटो रिक्शा चालक तथा घरेलू कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रायोगिक आधार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कराबी निगम ने पहले ही दो अलग-अलग योजनाएं शुरु/अनुमोदित की हैं।क्रियान्वित क्षेत्रों में स्थित निर्माण एजेंसी के कार्यालयों में संलग्ननिर्माण कामगारों को पहले ही कराबी योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका था। तत्पश्चात, 01.08.2015 से कराबी योजना का विस्तारक्रियान्वित क्षेत्रों में नियोजित निर्माण क्षेत्र के कामगारों तक भी किया गया है।

जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले अधिसूचित उद्योग/प्रतिष्ठान पर लागू होता है। ऑटो रिक्शा चालक सामान्यत: असंगठित क्षेत्र में आते हैं तथा उनमें से अधिकतर स्व-नियोजित होते हैं। उक्त अधिनियम काविस्तार 31.10.1980 से भवन एवं अन्य निर्माण उद्योग में लगे प्रतिष्ठानों तक किया गया है। इन प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के उपबंधों के अध्यधीन ईपीएफ लाभप्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार योजना कामगारों यथा आंगनवाड़ी, आशा तथा मध्याह्न भोजन से संबद्ध कामगारों तक करने के लिए सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 897

बुधवार, 23 नवम्बर, 2016/2 अग्रहायण, 1938 (शक)

निर्माण कामगारों के लिए ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. सुविधाएं

897. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:
श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय निर्माण कामगारों के लिए भी ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. सुविधाएं मुहैया कराने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिनियम कब तक लागू होगा?

उत्तर

श्रम और रोजगारराज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): ईएसआई अधिनियम, 1948 ऐसे कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति क्रियान्वित क्षेत्रों में नियोजित हों और वस्तुत:क्रियान्वित क्षेत्रों में स्थित सन्निर्माण एजेंसी के कार्यालयों में सन्निर्माण कामगार पहले से ही ईएसआई स्कीम में शामिल हैं। तदुपरांत, 01.08.2015 से प्रभावी, ईएसआई स्कीम का विस्तारक्रियान्वित क्षेत्रों में परिनियोजित सन्निर्माण स्थल के कामगारों तक भी किया गया है।

31.10.1980 से प्रभावी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू कर दिया गया है जहाँ 20 या उससे अधिक वे व्यक्ति नियोजित हों जो भवन एवं सन्निर्माण उद्योग में लिप्त हों।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में शामिल कामगार कर्मचारी भविष्य निधि परियोजना 1952, कर्मचारी जमा-राशि संबंधी बीमा परियोजना 1976 तथा कर्मचारी पेंशन परियोजना, 1995 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हैं।

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1056
(24.11.2016 को उत्तर के लिए)

प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार

1056. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के सभी वर्गों तक देश के विकास का लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी सेवाओं की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार लाना जरूरी है; यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को देश में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली में कमियों के कारण लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं और यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

<u>उत्तर</u>

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय (डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके। जहां कहीं भी बाधाएं महसूस की जाती हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सरकारी सेवाओं के कार्यकरण में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना, ई-गवर्नेंस आधारित सेवाएं, डिजीटल भारत, एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल), स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ विद्यालय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि जैसी स्कीमें हाल ही में इस दिशा में किए गए कतिपय पहल हैं।

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1058
(24.11.2016 को उत्तर के लिए)

सार्वजनिक संवीक्षा के लिए सरकारी आंकड़ों को अपलोड करना

1058. श्री विवेक गुप्ता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक संवीक्षा के लिए काफी संख्या में सरकारी आंकड़ों का अभी तक डिजिटलीकरण तथा अपलोड नहीं हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को सूचना के अप्रकटीकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो अप्रकटीकरण के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ?

<u>उत्तर</u>

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय
(डा. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) भारत सरकार के रिकार्डों के डिजीटलीकरण का कार्य एक सतत कार्य है तथा डिजीटलीकरण क्रमिक या चरणबद्ध तरीके से की जाती है। सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक पहल करती है कि सूचना का प्रसार करने के लिए अधिकतम डाटा लोक क्षेत्र में उपलब्ध हो। सूचना का अधिकार अधिनियम में भी देश के सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाइटों पर सूचना का स्वत: प्रकटीकरण करने की व्यवस्था है। भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू), **2009** में देश के सभी सरकारी कार्यालयों द्वारा 115 पैरामीटरों पर आधारित सूचना को अपने वेबसाइटों पर अपलोड करने तथा उनका नियमित रूप से अद्यतन करने की भी व्यवस्था है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय देश के सभी सरकारी कार्यालयों के सूचना के अप्रकटीकरण से संबंधित शिकायतों के संबंध में कोई केन्द्रीकृत सूचना नहीं रखता है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1701

बुधवार, 30 नवम्बर 2016/ 9 अग्रहायण, 1938 (शक)

श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया जाना

1701. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाने और इसे संहिताओं के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा श्रम कानूनों को कार्यात्मक आधार पर व्यापक रूप से चार या पांच श्रम संहिताओं में वर्गीकृत किया जाए। तदनुसार, मंत्रालय ने मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों को सरल करके, मिलान करके तथा औचित्य स्थापित करके मजदूरी संबंधी चार श्रम संहिताओं के मसौदे तैयार करने के उपाय किए हैं; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण; तथा सुरक्षा एवं कार्य दशाएं।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2500

बुधवार, 7 दिसम्बर, 2016/ 16 अग्रहायण, 1938 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की समीक्षा

2500. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि योजना की समीक्षा करवाई है/करवाने का विचार है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं तथा उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न हितधारकों से कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगारराज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि योजना,1952 की समीक्षा बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है।

(ग): और (घ):कर्मचारी भविष्य निधि योजना,1952 की समीक्षा/संशोधन के संबंध में विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इस तरह प्राप्त सुझावों पर योजना में संशोधन करते समय विचार किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3124

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2016/ 23 अग्रहायण, 1938 (शक)

किफायती आवास खरीदने के लिए भविष्य निधि बंधक रखना

3124. श्री के. आर. अर्जुनन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने चार करोड़ से अधिक ग्राहकों को किफायती आवास खरीदने के लिए अपनी भविष्य निधि बंधक रखने तथा एक समान मासिक किश्त का भुगतान करने के लिए अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देने की योजना लागू कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल में हुई ईपीएफओ न्यासियों की बैठक के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) एवं (ख): इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के मौजूदा उपबंधों के अनुसार सदस्य रिहाईसी मकान/फ्लैट के क्रय हेतु निधि से आहरण कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार अथवा संबंधित आवासीय एजेंसी को सदस्य की ओर से उसकी जमा राशि में से ऋण की वापसी हेतु मासिक किश्तों का भुगतान भी किया जा सकता है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3126

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2016 / 23 अग्रहायण, 1938 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लंबित मामलों का निपटान

3126. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी भविष्य निधि के आवेदन निपटान के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति की अनुसार कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा शीघ्र भुगतान करने हेतु मामलों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): 09.12.2016 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास निपटान हेतु कुल 1.43 लाख कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) दावे लंबित हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 72(7) के उपबंधों के अनुसार सभी लिहाज से पूर्ण रूप में प्रस्तुत किए गए दावे 20 दिवस के भीतर निपटाने होते हैं। अत: किसी समय विशेष पर कोई नई पावती 20 दिन तक निपटान हेतु लंबित हो सकती है। तथापि, इन 20 दिनों के दौरान लंबित दावे उसी निपटान चक्र में निपटा दिए जाते हैं। कुल दावों में से 97.26 प्रतिशत दावे 20 दिन में निपटा दिए जाते हैं।

जारी....2/-

(घ) ईपीएफओ द्वारा दावों के त्वरित निपटान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) ईपीएफओ ने पोर्टेबिलिटी और पिछले सभी खातों के समेकन हेतु अपने सदस्यों को एक विशिष्ट सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) आबंटित की है। वे कर्मचारी जिनकी आधार संख्या या स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) और बैंक खाता संख्या जैसे ब्यौरे उनके यूएएन में डाल दिए गए हैं और जिनके यूएएन उनके नियोक्ताओं द्वारा सक्रिय कर दिए गए हैं, वे अपने दावा फार्म अपने नियोक्ताओं के अधिप्रमाणन के बिना सीधे ईपीएफओ को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) दावों का सुचारू रूप से अंतरण सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल (ओटीसीपी) आरम्भ किया गया है।

(iii) निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और कतिपय मैनुअल प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया है।

(iv) भविष्य निधि धनराशि के भुगतान हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन शुरु किए गए हैं। मासिक पेंशन भुगतान सहित सभी भुगतानों का 99 प्रतिशत से अधिक भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किया जाता है।

(v) क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायतों के निवारण हेतु एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कर्मचारी भविष्य निधि इंटरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस) तथा सुविधा केन्द्र खोले गए हैं। शिकायतों का निवारण 20 दिवस के भीतर करने हेतु प्रयास किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

***तारांकित प्रश्न संख्या 235**

बुधवार, 7 दिसम्बर, 2016/ 16 अग्रहायण, 1938 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पुनर्गठन

***235. श्रीमती रेणुका चौधरी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कतिपय नए जोन बनाकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पुनर्गठन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण, अर्ध-शहरी असंगठित और ठेका कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदाताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से नए कदम उठाए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

ईपीएफओ के पुनर्गठन के संबंध में श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा 7.12.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 235 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): केन्द्रीय बोर्ड, ईपीएफ ने 08 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी 213वीं बैठक में ईपीएफओ में संगठनात्मक और संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उक्त प्रस्ताव में, केन्द्रीय बोर्ड ने 11 नए जोनल कार्यालय का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग):- कर्मचारी भ विष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 या 20 से अधिक कामगारों का नियोजन करने वाली सभी प्रतिष्ठानों और अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित उद्योगों में संलग्न कामगारों पर लागू होता है चाहे वे शहरी, अर्ध-शहरी, अन्य क्षेत्रों में नियोजित हों अथवा शामिल किया गया कामगार ठेका कामगार हो। कोई कामगार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार असंगठित कामगार नहीं माना जाता है यदि वह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत आता है।

(घ): ईपीएफओ के अभिदाता आधार में बढ़ोतरी करने के लिए, समय-समय पर कवरेज अभियान और कामगार नामांकन अभियान चलाए जाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में केन्द्रीय विश्लेषण एवं आसूचना एकक स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय अरक्षित स्थापनों और सदस्यों की कवरेज संरक्षित करने के लिए फील्ड कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी चालित सूचना प्रदान कर रहा है।

****